and the certificates of the specialist in the concerned discipline recommending the treatment abroad and the hospital abroad where treatment is proposed to be availed of. Such applications are required to be sent to the Minister of Health and Family Welfare through their administrative Ministry. These requests are then placed before the Standing Committee of Experts set-up by this Ministry to consider such case. If the Standing Committee recommends a case, a certificate recommending the treatment abroad is issued by the Ministry to the Ministry/Department where the applicant is working.

(c) and (d) On receipt of the certificate from the Ministry of Health and Family Welfare by concerned Ministry/Department that Ministry/Department will issue a formal sanction with the concurrence of their Associate Finance/Ministry of Finance for incurring the anticipated expenditure as estimated by the applicant. Entire expenditure on indoor treatment of the patient including to and fro air fare is borne by the government. If an attendant has been recommended by the Standing Committee, he/she is entitled to and fro air fare. The patient and the attendent are also entitled to 50 per cent of hotel accommodation charges in a hotel on the panel of the Indian Mission abroad and 50 per cent of daily allowance for the period of out-patient treatment.

No ceiling has been imposed on the expenditure to be incurred in respect of Central Government employees, which have been recommended by the Standing Committee appointed by the Ministry of Health and Family Welfare.

2587. [*Transferred to the 9th August*, 1989]

सियाचीन पर पाकिस्तान का आक्रमण

2588. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चौदह वर्षों के दौरान सियाचीन की भारतीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा कई बार हमला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे हमलों की वर्षवार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के ऐसे सभी हमले भारतीय सेना द्वारा विफल कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सियाचीन विवाद को समाप्त करने के लिए पिछले महीनों के दौरान सरकार के विभिन्न स्तरों पर आपसी बातचीत की गयी थी, यदि हां, तो इस क्षेत्र में सेना की उपस्थिति के संबंध में कोई निर्णय लेकर तदनुसार सेना को हटाने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० एल० बेरा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सियाचीन में लगातार कार्रवाई चलती रही जिसमें छुट-पुट कार्रवाई भी शामिल हैं । भारतीय सैनिक इन सभी कार्रवाइयों में सफल रहे ।

(घ) जून 1989 में रावलपिण्डी में सियाचीन मामले पर आयोजित भारत-पाक वार्ता के आखिरी दौर में दोनों पक्ष इस मामले को व्यापक रूप से हल करने के लिए इन मुद्दों पर कार्रवाई करने पर सहमत हुए—सेना को नए सिरे से तैनात किया जाए जिससे संघर्ष के अवसर कम हों, सैन्य बल के प्रयोग से बचा जाए और भविष्य में सेनाओं की चौकियों का स्थान इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि वह शिमला समझौते के अनुरूप हो और इस क्षेत्र में स्थायी रूप से शान्ति स्थापित हो सके ।